कार्यपालक अभियन्ता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, कहलगाँव

पत्रांक 678 / कहलगाँव दिनांक 11/5/2024

प्रेषक,

कार्यपालक अभियन्ता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमण्डल, कहलगाँव।

सेवा में,

श्री रविन्द्र कुमार,
बरियाही, सिमरिया घाट,
बेगुसराय।

विषय :– Nauachak Uraon Tola to Pachrukhi तक पथ में सुधारात्मक कार्य लंबित रखने के संबंध में।

प्रसंग :– इस कार्यालय का पत्रांक 570 दिनांक 20.04.2024।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में सूचित करना है कि आपके द्वारा एकरारित Nauachak Uraon Tola to Pachrukhi तक पथ में BRRMS App के द्वारा "SRI" (Sarisfactory but Required Improvement) ग्रेड प्रदान किये जाने के उपरान्त सुधार कार्य कराने हेतु निदेशित किया गया था।

इस कार्यालय का पत्रांक 570 दिनांक 20.04.2024 द्वारा दिये गये निदेश के आलोक में आपके द्वारा पथ में वांछित सुधार कार्य नहीं कराया गया है, जो एकरारनामा के शर्त्तों एवं अधोहस्ताक्षरी के निदेश का उल्लंघन है।

अतः अंतिम रूप से निदेशित किया जाता है कि दिनांक 14.05.2024 तक सुधार कनीय अभियन्ता के निरीक्षण में पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। दिनांक 14.05.2024 तक सुधार कार्य पूर्ण नहीं कराने की स्थिति में आपके द्वारा कराये गये कार्यों का **अंतिम मापी दिनांक 15.05.2024** को संबंधित कनीय अभियंता / सहायक अभियंता द्वारा किया जायेगा। उक्त निर्धारित तिथि को आप स्वयं या अपने प्राधिकृत प्रतिनिधि को कार्य स्थल पर उपस्थित रखना सुनिश्चित करेंगे। यदि उक्त निर्धारित तिथि को आप या आपके प्राधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित नहीं रहेंगे तो भी मापी कर ली जायेगी और माना जायेगा कि लिया गया अंमित मापी आपको मंजूर है। इसके बाद आपका कोई दावा मान्य नहीं होगा। अंतिम मापी किये जाने के उपरान्त एकरारनामा के शर्त्तों एवं State SBD की सुसंगत कंडिका के आलोक में आपके निबंधन के विरूद्ध कार्रवाई हेतु उच्चाधिकारी को अनुशंसित कर दिया जायेगा।

विश्वासभाजन

11/05/24

कार्यपालक अभियन्ता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमण्डल, कहलगाँव

कार्यपालक अभियन्ता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, कहलगाँव

पत्रांक 678 / कहलगाँव दिनांक 11/5/2024

प्रेषक,

कार्यपालक अभियन्ता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमण्डल, कहलगाँव।

सेवा में,

श्री रविन्द्र कुमार,
बरियाही, सिमरिया घाट,
बेगुसराय।

विषय :– Nauachak Uraon Tola to Pachrukhi तक पथ में सुधारात्मक कार्य लंबित रखने के संबंध में।

प्रसंग :– इस कार्यालय का पत्रांक 570 दिनांक 20.04.2024।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में सूचित करना है कि आपके द्वारा एकरारित Nauachak Uraon Tola to Pachrukhi तक पथ में BRRMS App के द्वारा "SRI" (Sarisfactory but Required Improvement) ग्रेड प्रदान किये जाने के उपरान्त सुधार कार्य कराने हेतु निदेशित किया गया था।

इस कार्यालय का पत्रांक 570 दिनांक 20.04.2024 द्वारा दिये गये निदेश के आलोक में आपके द्वारा पथ में वांछित सुधार कार्य नहीं कराया गया है, जो एकरारनामा के शर्तों एवं अधोहस्ताक्षरी के निदेश का उल्लंघन है।

अतः अंतिम रूप से निदेशित किया जाता है कि दिनांक 14.05.2024 तक सुधार कनीय अभियन्ता के निरीक्षण में पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। दिनांक 14.05.2024 तक सुधार कार्य पूर्ण नहीं कराने की स्थिति में आपके द्वारा कराये गये कार्यों का **अंतिम मापी दिनांक 15.05.2024** को संबंधित कनीय अभियंता / सहायक अभियंता द्वारा किया जायेगा। उक्त निर्धारित तिथि को आप स्वयं या अपने प्राधिकृत प्रतिनिधि को कार्य स्थल पर उपस्थित रखना सुनिश्चित करेंगे। यदि उक्त निर्धारित तिथि को आप या आपके प्राधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित नहीं रहेंगे तो भी मापी कर ली जायेगी और माना जायेगा कि लिया गया अंमित मापी आपको मंजूर है। इसके बाद आपका कोई दावा मान्य नहीं होगा। अंतिम मापी किये जाने के उपरान्त एकरारनामा के शर्तों एवं State SBD की सुसंगत कंडिका के आलोक में आपके निबंधन के विरूद्ध कार्रवाई हेतु उच्चाधिकारी को अनुशंसित कर दिया जायेगा।

विश्वासभाजन

11/05/24

कार्यपालक अभियन्ता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमण्डल, कहलगाँव

ज्ञापांक 678 / कहलगाँव दिनांक 11/5/2024

प्रतिलिपि : कनीय अभियन्ता, कार्य प्रशाखा, पीरपैंती / सहायक अभियन्ता, कार्य अवर प्रमण्डल पीरपैंती को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेशित किया जाता है कि संवेदक द्वारा तीन दिनों के अन्दर संवेदक द्वारा कार्य पूर्ण नहीं किये जाने के स्थिति में दिनांक 15.05. 2024 को कराये गये कार्य का अंतिम मापी लेते हुये पूनरीक्षित प्राक्कलन समर्पित करना सुनिश्चित करें।

11/05/24

कार्यपालक अभियन्ता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमण्डल, कहलगाँव

ज्ञापांक ....678........ /कहलगाँव दिनांक 11/5/2024

प्रतिलिपि : अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, भागलपुर को सूचनार्थ एवं अग्रेतर कार्रवाई हेतु समर्पित।

11/05/24

कार्यपालक अभियन्ता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमण्डल, कहलगाँव

कार्यपालक अभियन्ता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, कहलगाँव

पत्रांक 570 / कहलगाँव दिनांक 20/04/2024

प्रेषक,

कार्यपालक अभियन्ता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमण्डल, कहलगाँव।

सेवा में,

श्री रविन्द्र कुमार,
बरियाही, सिमरिया घाट,
बेगुसराय।

विषय :– दिनांक 07.04.2024 को BRRMS App के माध्यम से Nauachak Uraon Tola to Pachrukhi तक पथ के अनुरक्षण कार्य का किये गये निरीक्षण के दौरान पाये गये त्रुटियों का निराकरण तीन दिनों के अन्दर करने के संबंध में।

प्रसंग :– इस कार्यालय का पत्रांक 1461 दिनांक 30.10.2023।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक सूचित करना है कि आपके द्वारा एकरारित Nauachak Uraon Tola to Pachrukhi तक पथ का दिनांक 07.04.2024 को BRRMS App के माध्यम से कनीय अभियन्ता, पीरपैंती द्वारा निरीक्षण किया गया है। उक्त पथ में मानक अनुरूप अनुरक्षण कार्य पूर्ण हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 1461 दिनांक 30.10.2023 द्वारा निदेशित किया गया था। पथ में अनुरक्षण कार्य नहीं कराये जाने के कारण निरीक्षण के दौरान BRRMS App के द्वारा "SRI" (Sarisfactory but Required Improvement) ग्रेड प्रदान दिया गया है।

BRRMS App के द्वारा प्रदत्त " SRI " ग्रेड को 15 दिनों के अन्दर BRRMS App के माध्यम से पथ में कराये गये सुधारात्मक कार्य का निरीक्षण करने के उपरान्त Regrade किया जायेगा।

अतः आपको निदेशित किया जाता है कि संलग्न जाँच प्रतिवेदन के आधार पर पथ में आवश्यक सुधार कार्य मानक अनुरूप कराना सुनिश्चित करें ताकि पथ में उठाये गये आपत्तियों का निराकरण हो सके। आपके द्वारा कार्य में शिथिलता बरतने या कार्य नहीं कराने की स्थिति में आपके विरूद्ध एकरारनामा के शर्त्तों के उल्लंघन करने के आलोक में कार्रवाई हेतु बाध्यता होगी जिसके लिये आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।

विश्वासभाजन

20/04/24

कार्यपालक अभियन्ता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमण्डल, कहलगाँव